न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी- जयपुर

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार शर्मा, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 47 / 2000
उनवान : महादेव बनाम गिरधारी
निर्णय दिनांक : 22.01.2018

1. महादेव पुत्र सूज्या जाति मीना निवासी ग्राम फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र रामसहाय
2. नेहरू पुत्र रामसहाय
3. हरली बेवा रामसहाय
4. भैरूराम पुत्र काना
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी, बस्सी
सत्यमेव जयते
जिला जयपुर

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है जो आराजीयात प्रस्तुत वाद में विवादित है। विवादित आराजीयात में वादी महादेव का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 62 में वादी प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 का चाह स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजीयात के सहकृषक है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उक्त विवादित आराजीयात को बहामी रजामन्दी से हिस्से अनुसार काश्त कर काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपभोग करते है एवं फसल की उक्त चाह से सिंचाई कर लाभान्वित होते आ रहे है व सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मध्य आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी सहखातेदारी की आराजी है। वादी गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा [illegible] है जो आये दिन वादी व वादी के परिवार से [illegible] के हिस्से की

है। वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मानते है। वादी ने स्थाई समाधान के लिये प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को दिनांक 06/07/2000 को आराजीयात का विवादित बंटवारा कराकर खातेदारी व लगान अलग–अलग निर्धारित कराने को कहा तो प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इन्कार हो गये तथा वादी को प्रतिवादीगण ने कहा कि अगर वादी ने ज्यादा तीन पांच की तो वो वादी को उसके हिस्से की आराजीयात पर काश्त नहीं करने देगें तथा लड़ाई झगड़ा करने के लिये आमादा हो गये जिस कारण वादी को प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा को पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा है। वादी अपने 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर मकान बना कर मय परिवार निवास कर रहा है व मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वादी से निःकारण दुश्मनी रखते है, वादी के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त में बिना कारण मजाहमत करते है तथा विवादित आराजीयात में स्थित हरे वृक्षों को काटने एवं गड्डे खोद कर भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट करने पर आमादा है, भूमि को विकय करने की योजना बना रहे है, जिस कारण यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थना पत्र अनुसार प्रतिबंधित नहीं किया गया तो वादी को असहनीय क्षति होगी। वादी के लिये वाद कारण दिनांक 06/07/2000 को पैदा हुआ है जिससे दावा अन्दर अवधि पेश है। वाद बाबत् विभाजन विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 55 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि की अलग से खातेदारी व लगान निर्धारित किया जावें। चाह के ओसरे कायम किये जावें। जो भू–भाग विभाजन में वादी के हिस्से में आवे उस पर तन्हा वादी का कब्जा कराया जावें ऐसा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित व निर्देशित किया जावें। विभाजन के पश्चात् जो भूमि वादी के हिस्से में आवे उसमें वादी के कब्जे काश्त एवं प्रत्येक प्रकार के उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट पैदा न करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे।

वादी का वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई। पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद दिनांक 30/04/2002 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया। कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी का वाद दिनांक 21/12/2002 को अन्तिम डिक्री किया गया, जिस पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को त्रुटिपूर्ण मानते हुए अपास्त कर उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गये। जिस पर प्रकरण पुनः दर्ज कर उभयपक्ष की उपस्थिति में कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बस्सी के पत्रांक एल.आर/17/3408 दिनांक 11/08/2017 के द्वारा संशोधित कुरेजात प्राप्त हुए, प्राप्त कुरेजात पर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से आपत्ति पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 4 को कुरेजात प्रस्ताव में जो भूमि खसरा नम्बर 113/8 दी गई है उसमें आने जाने का जो रास्ता दर्शाया गया है, वह मौके पर मौजूद नहीं है एवं उस प्रस्तावित रास्ते में बड़े बड़े बबूल के वृक्ष ... असम्भव है। उक्त वृक्षों को काटने की

प्रार्थी/वादी द्वारा भी पेश की गई तथा उभयपक्ष को सूचित कर, उनकी मौजूदगी में कुरेजात तैयार करने की प्रार्थना की गई। उभय पक्ष की और से आपत्ति प्राप्त होने पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बस्सी को उभय पक्ष की मौजूदगी में नवीन कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार बस्सी द्वारा अपने पत्रांक एल.आर./2017/163 दिनांक 12/01/2018 के द्वारा नवीन कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर सहमति स्वरूप थे तथा बहस कुरेजात पर सहमति प्रकट की गई तथा उपस्थित होकर सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्ताक्षर भी किये गये।

अतः आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद बाबत् विभाजन विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

क. सं	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1	गिरधारी नेहरू पिता रामसहाय व हरली पत्नि स्व. रामसहाय जाति मीना सा. देह राहिन SBBJ शाखा बस्सी मूर्तहीन	55/1 62/2 113/3 113/6	1.00 1.12 0.18 0.03	यथा प्रस्ताव
		4	3.13	
2	भौरू पुत्र काना कोम मीना सा. देह राहिन BOI शाखा बस्सी मूर्तहीन	55/2 62/1 113/2 113/5	1.00 1.11 0.18 0.03	यथा प्रस्ताव
		4	3.13	
3	महादेव पुत्र सूज्या जाति मीना सा. देह	55/3 62/3 113/1 113/4 113/7	2.01 3.05 1.16 0.05 0.01	यथा प्रस्ताव
		5	7.08	
4	गिरधारी नेहरू पिता रामसहाय हरल पत्नि स्व. रामसहाय हिस्सा 1/4 भैरू पुत्र काना हिस्सा 1/4 महादेव पुत्र सूज्या हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह	113/8	0.08	यथा प्रस्ताव
5	गिरधारी नेहरू पिता रामसहाय हरली पत्नि स्व. रासहाय हिस्सा 1/2 राहिन SBBJ शाखा बस्सी मूर्तहीन भैरूराम पुत्र काना हिस्सा 1/2 सा. देह	62/4	0.02	यथा प्रस्ताव

उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजियात का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें। साथ ही बंटवारे के अनुसार मौके पर सीमा चिह्न कायम किये जावें। तहसीलदार बस्सी को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप खण्ड़ अधिकारी, मुकाम बस्सी, जिला जयपुर बइजलास
पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार शर्मा आर.ए.एस

वादी

1. महादेव पुत्र सूज्या जाति मीना निवासी ग्राम फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. गिरधारी पुत्र रामसहाय
2. नेहरू पुत्र रामसहाय
3. हरली बेवा रामसहाय
4. भैरूराम पुत्र काना
   समस्त जातियान मीना निवासीगण फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज.।

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा न0 47/2000

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे ..... वादी व. .. .. प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाकर है विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 55 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम फिलसन बिहारीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री कि जाती है:–

क. सं	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1	गिरधारी नेहरू पिता रामसहाय व हरली पत्नि स्व. रामसहाय जाति मीना सा. देह राहिन SBBJ शाखा बस्सी मूर्तहीन	55/1 62/2 113/3 113/6	1.00 1.12 0.18 0.03	यथा प्रस्ताव
		4	3.13	
2	भौरू पुत्र काना कोम मीना सा. देह राहिन BOI शाखा बस्सी मूर्तहीन	55/2 62/1 113/2 113/5	1.00 1.11 0.18 0.03	यथा प्रस्ताव
		4	3.13	
3	महादेव पुत्र सूज्या जाति मीना सा. देह	55/3 62/3 113/1 113/4 113/7	2.01 3.05 1.16 0.05 0.01	यथा प्रस्ताव
		5	7.08	
4	गिरधारी नेहरू पिता रामसहाय हरल पत्नि स्व. रामसहाय हिस्सा 1/4 भैरू पुत्र काना हिस्सा 1/4 महादेव पुत्र सूज्या हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह	113/8	0.08	यथा प्रस्ताव
5	गिरधारी नेहरू पिता रामसहाय हरली			

उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजियात का तकासमा मुताबिक कुरेजात रपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें। साथ ही बंटवारे के अनुसार मौके पर सीमा चिह्न कायम किये जावें। तहसीलदार बस्सी को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जाती है।

......................निजि........................मुबकिल................बाबत....................खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह...........फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक...................को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.01.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.................. उप खण्ड अधिकारी

ओहदा.................. बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिए दिखाय हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी

(अशोक कुमार शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
बस्सी, जिला–जयपुर

न्यायालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर

शुद्धि–पत्र

इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 47/2000 ब उनवान महादेव बनाम गिरधारी के नाम से दिनांक 22/01/2018 को निर्णित किया गया था। उक्त प्रकरण के निर्णय व डिक्री के मुताबिक पटवारी व तहसीलदार तथा प्रार्थी ने बताया कि भौरू, BOI, हरल, रासहाय रकबा 1.00 लिपिकीय त्रुटि हो गई है। अतः इस लिपिकीय त्रुटि को भौरू, BOI, हरल, रासहाय रकबा 1.00 के स्थान पर भैरू, BOB, हरली, रामसहाय, रकबा 1.01 को शुद्ध करने का मौखिक निवेदन किया है।

प्रकरण में प्रार्थी के मौखिक निवेदन करने पर दावे के तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय व डिक्री में लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किया जाना उचित पाते है।

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/01/2018 ब उनवान महादेव बनाम गिरधारी के आदेश व डिक्री में **भौरू के स्थान पर भैरू, BOI के BOB हरल के स्थान पर हरली, रासहाय के स्थान पर रामसहाय, रकबा 1.00 के स्थान पर रकबा 1.01 किया जाता है तथा इसी अनुरूप पढा जावें।** यह शुद्धि पत्र निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(अशोक कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला–जयपुर